राजस्व वाद संख्याः– 126/2018
रामेश्वर बनाम शंकरलाल वगै0
निर्णय दिनांकः– 29.11.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 126/2018

1. रामेश्वर पुत्र बीरबल(व्यस्क) जाति जाट निवासी किढ़वाना तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0

– वादीगण

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र बीरबल (फौत)
   1/1 नानूडी पत्नी स्व0 शंकरलाल
   1/2 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 शंकरलाल
   1/3 मुकेश कुमार पुत्र स्व0 शंकरलाल
   1/4 सरोज पुत्री स्व0 शंकरलाल
   1/5 तारावती पुत्री स्व0 शंकरलाल
   1/6 राजबाला पुत्री स्व0 शंकरलाल
2. बनवारीलाल पुत्र बीरबल (व्यस्क)
3. नाथाराम पुत्र बीरबल (व्यस्क)
4. शांति पुत्री बीरबल (व्यस्क)
5. गिनो पुत्री बीरबल (व्यस्क)
6. फुलकंवर पत्नी सुभाषचन्द्र (व्यस्क)
7. सुमेर सिंह पुत्र सुभाषचन्द्र (व्यस्क)
8. रोशनलाल पुत्र सुभाषचन्द्र (व्यस्क)
9. सुरेन्द्र पुत्र सुभाषचन्द्र (व्यस्क)
10. विरेन्द्र पुत्र सुभाषचन्द्र (व्यस्क)
    समस्त जाति जाट निवासीगण किढ़वाना तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक – 29.11.2022

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) यह कि वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर डिक्री फरमाया जाकर राजस्व ग्राम किढ़वाना स्थित भूमि ख0न0 46 रकबा 3.66 है0, ख0न0 286 रकबा 0.12 है0, ख0न0 327 रकबा 0.06 है0, ख0न0 330 रकबा 3.01 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 6.84 है0 राजस्व अभिलेख में विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादी के कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 330 रकबा 3.01 है0 में से वादी का 1/7 हिस्सा पूर्व की

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

तरफ का रकबा 0.98 है0 जिसको दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए0 से दर्शाया गया है की वादी की खातेदारी में दर्ज किया जाकर अलग से ख0न0 व रकबा 0.98 है0 जिसको दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए0 से दर्शाया गया है की वादी की खातेदारी में दर्ज किया जाकर अलग से ख0न0 व रकबा 0.98 है0 कायम किया जावे व नक्शे में भी तरमीम किये जाने की डिक्री पारित की जावे वादी आन्टरनेटिव इस्तदुआ करता है कि वादी का वादग्रस्त आराजियात में 1/7 हिस्सा अलग किया जाकर अलग से ख0न0 व रकबा 0.98 है0 कायम किया जाकर विभाजन के अनुसार रास्ते का प्रावधान किया जाकर विधिवत विभाजन में आये हिस्से व रकबे पर कब्जा करवाया जावे तथा गैर मुमकिन कुआ ख0न0 45 रकबा 0.05 है0 में वादी का 1/7 हिस्सा है को वादी व प्रतिवादीगण न0 01 लगायत 10 का शामिल बदस्तूर दर्ज है वो रहे तथा प्रतिवादी नम्बर 11 को उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती का आदेश फरमाया जावे।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 10 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के हिस्से को काश्त करने लाट बांट करने में कोई बाधा या दखल नही देवे व वादी के हिस्से पर वादीगण ना तो स्वयं कब्जा या अतिक्रमण करे तथा न ही अपने घर वालो व एजेण्टो से करवाये और वादी को उसके हिस्से के उपयोग व उपभोग में कोई बाधा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं डाले।

(ग) यह कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण न0 01 लगायत 10 से दिलवाया जावें।

(ग) यह कि अन्य सिद्वी जो वादी के हक में हो तथा किन्तू भूल से चाही जाने से रह गई हो वो भी वादी को आर0टी0एक्ट की धारा 209 के तहत दिलवायी जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 04 की ओर से श्री सुरेन्द्र तवॅर एड0 की ओर से वकातनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2070–2073, जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस एवं विभाजन प्रस्ताव।

**बहस सुनी गई।**

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं वकील वादी की एक पक्षीये बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया। वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner

राजस्व वाद संख्या:— 126/2018
रामेश्वर बनाम शंकरलाल वगै0
निर्णय दिनांक:— 29.11.2022

—:: आदेश::—

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि ख0न0 45 रकबा 0.05 है0, गैर मुमकिन कुआ, ख0न0 46 रकबा 3.65 है0, ख0न0 286 रकबा 0.12 है0, ख0न0 327 रकबा 0.06 है0 ख0न0 330 रकबा 3.01 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 06.89 है0 वाके ग्राम किढ़वाना का विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0/2022/2498 दिनांक 14.10.2022 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner

राजस्व वाद संख्याः— 126/2018
रामेश्वर बनाम शंकरलाल वगै0
निर्णय दिनांकः— 29.11.2022

# मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.—126/2018

निर्णय दिनांक :— **29-11-2022**

रामेश्वर <u>बनाम</u> शंकरलाल वगै0

<u>दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

वादी की ओर से **श्री सोमवीर एड0** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 29.11.2022 को **राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

"न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि ख0न0 45 रकबा 0.05 है0, गैर मुमकिन कुआ, ख0न0 46 रकबा 3.65 है0, ख0न0 286 रकबा 0.12 है0, ख0न0 327 रकबा 0.06 है0 ख0न0 330 रकबा 3.01 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 06.89 है0 वाके ग्राम किढ़वाना का विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0/2022/2498 दिनांक 14.10.2022 के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

Scanned with Oken Scanner